न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

पत्रावली संख्या 07/ निग0 पंचा0/2014
राजस्थान राज्य जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

प्रार्थी/सायल

बनाम

1. ग्राम पंचायत चैकोरा पंचायत समिति रूपवास तह. रूपवास जिला भरतपुर जरिये सचिव ग्राम पंचा0 चैकोरा पंचायत समिति रूपवास जिला भरतपुर।
2. केशवदेव पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद ग्राम चैकोरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
3. गिर्राजसिंह पुत्र श्री अजमेरसिंह जाति ठाकुर निवासी शक्करपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

अप्रार्थीगण/गैरसायलान

निगरानी विरूद्ध विक्रय विलेख/पट्टा ग्राम पंचायत चैकोरा बहक अप्रार्थी सं0 2 दिनांक 26.10.1999

उपस्थित :

1. श्री राजेश मित्तल अभिभाषक प्रार्थी

दिनांक : 13.6.2018

निर्णय

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति रूपवास द्वारा यह प्रार्थना पत्र/निगरानी जरिये अभिभाषक अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत विरूद्ध विक्रय विलेख दिनाक 26.10.1999 द्वारा संरपच ग्राम पंचायत चैकोरा बहक अप्रार्थी सं0 2 श्री केशवदेव पुत्र श्री गिर्राज के हक मे जारी किया गया आवासीय भू खण्ड प्लाट संख्या –15 30फुटX46.5फुट = 1395 वर्गफुट के पट्टे को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गई। प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण एवं विक्रय विलेख (पट्टा) की पत्रावली तहत् तलब की गई। संरपच ग्राम पंचायत चैकोरा के द्वारा अपने पत्र क्रमांक स्पेशल 1 दि. 13.05.2015 के द्वारा अप्रार्थी के हक में जारी पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही होना सूचित किया गया एवं नियत दिनांक 23.07.2015 को सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा भी अप्रार्थी के हक में जारी पट्टा सम्बन्धी कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत मे उपलब्ध नही होना सूचित किया गया है। बहस हेतु तारीख नियत की गई बाबजूद सूचना अप्रार्थी अथवा अप्रार्थी के वकील उपस्थित नहीं। नियत दिनांक को बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी मुख्य कथन है कि जिला कलक्टर महोदय भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 11.03.1985 से ग्राम पंचायत भिडयानी के आराजी खसरा न0 11 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा ,ख0न0 13 रकवा 7 बीघा 12 विस्वा एवं खसरा न0 22 रकवा 2 बीघा 17 विस्वा मकबूजा सरकार पहाडी खेड कुल रकवा 12 बीघा को ग्राम पंचायत चैकोरा के लिये आबादी विस्तार हेतु आरक्षित किया गया जिसकी पालना मे उक्त विवादित आराजी पटवारी हल्का के द्वारा राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 आबादी दर्ज की गई। आबादी हेंतु आरक्षित भूमि में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 142 ,147, 148, 149, 150, 151 की पालना कर ग्राम पंचायत को आबादी हेतु भूखण्ड के पट्टे जारी करने की कार्यवाही नियमानुसार की जानी। तत्कालीन संरपच के द्वारा आवंटन से पूर्व उक्त प्रक्रिया की पालना नही की गई और ग्राम पंचायत मे कोई निलामी की कार्यवाही सम्पादित की गई और ना ही कोई निलामी फर्द तैयार की गई रिकार्ड में अन्तिम बोली राशि व नीलामी समिति की अभिशंषा के बिना ही तत्कालीन संरपच व सचिव ने नियमो के विरूद्व तत्समय विद्यमान बाजार दर से काफी कम कीमत पर अपने परिवारीजन रिश्तेदार एवं नजदीकी लोगो को भू खण्ड आवंटन के पात्र न होते हुये भी ग्राम पंचायत से बाहर के निवासी व्यक्तियो को भूखण्ड का आवंटन/पट्टा किया गया है तथा पंचायती राज्य नियम 1966 के नियम 154 व 155 की पालना में विक्रय पुष्टि भी नही की गई है। सरपंच ग्राम पंचायत

चैकोरा द्वारा उक्त अप्रार्थी सं0 2 के हक में जारी पट्टा/आंवटन की शिकायत प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा तहसीलदार रूपवास जाच रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत चैकोरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने पर यह पाया की मौके पर आवंटित भू खण्ड पर मौके पर अप्रार्थी स0 2 का कोई कब्जा नही पाया गया। तत्कालीन सरपंच/सचिव द्वारा 7 प्रतिशत पट्टे ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासी एवं 93 प्रतिशत ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाहरी व्यक्तियों को नियमों के विरूद्व जारी किये गये है। अभिभाषक प्रार्थी ने यह भी जाहिर किया कि पंचायती राज्य नियम 1996 के नियम 166 की पालना में पट्टे की तृतीय प्रति प्रार्थी पंचायत कार्यालय में प्रेषित की जानी आवश्यक थी किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत चैकोरा द्वारा पट्टे की कोई प्रति कार्यालय में प्रेषित नही की गई है। जिससे यह स्पष्ट है कि तत्कालीन सरपंच/सचिव के द्वारा आवासीय भूखण्ड के पट्टे जारी किये गये है वह पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। उनका यह भी कथन हैं कि पूर्व में भी अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी पट्टे सरपंच ग्रम पंचायत चैकोरा को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के समक्ष नजरसानी प्रस्तुत की गई थी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानियों में वैधानिक त्रुटि होने के कारण नवीन प्रार्थना पत्र निगरानी पृथक पृथक प्रस्तुत करने की अनुमति दिनांक 19.06.2012 को प्राप्त करने के पश्चात् पुनः पृथक पृथक पट्टे की पृथक पृथक निगरानिया प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी सं0 2 के हक में पट्टा जारी करने से पूर्व प्रचलित नियमों की कोई पालना नही करते हुये नियम विरूद्व पट्टे ग्राम पंचायत के द्वारा जारी किये गये है। ऐसे अनियमित पट्टो को किसी भी स्तर पर निरस्त कराने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी के द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रार्थी के स्तर पर निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त आधार है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा यह भी अंकित किया है कि तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत चैकोरा के द्वारा नियम विरूद्ध अपने परिवारीजन, रिश्तेदारो एवं नजदीकी धनाढय लोगो एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाहर के निवासीयो को आवासीय भू खण्ड का पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत चैकोरा की आबादी हेतु आरक्षित आराजी मे से आवासीय भू खण्डो के पट्टे ग्राम पंचायत चैकोरा के अन्तर्गत रहने वाले भूमिहीन गरीब एवं आवंटन के पात्र व्यक्तियो को किया जाना आवश्यक था। अतः प्रार्थना पत्र निगरानी स्वीकार किया जाकर राज्यहित एवं जनहित में ग्राम पंचायत चैकोरा द्वारा नियम विरूद्व अपात्र व्यक्तियो को किये गये आवंटन/ पट्टो को निरस्त किया जावे।

हमने अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्व सरपंच ग्राम पंचायत चैकोरा के विक्रय विलेख दिनाक 26.10.1999 बहक अप्रार्थी सं0 2 को निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र निगरानी दिनांक 19.08.2014 को प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं0 2 के हक में नियम विरूद्व एंव विधिक प्रक्रिया के विरूद्व पट्टा जारी किया जाना तथा ऐसे पट्टे को किसी भी स्तर पर निरस्त कराया जा सकता है। पूर्व में अप्रार्थी सं0 2 के हक में जारी पट्टा को निरस्त कराने हेतु निगरानी प्रस्तुत कराना तथा विधिक त्रुटि होने के कारण नवीन प्रार्थना पत्र की अनुमति के साथ दिनांक 19.06.2012 को पूर्व प्रस्तुत नजरसानी वापिस प्राप्त करना तथा पुनः उच्चाधिकारी के निर्देशानुसार निगरानी प्रस्तुत करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में अंकित किया गया है जिसके समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थी सं0 2 को पंचायती राज अधिनियम 1996 के अन्तर्गत बिना निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण किये विधि विरूद्व पट्टा जारी किया जाना अंकित किया है। ऐसे नियम विरूद्व जारी पट्टा को निरस्त कराने हेतु म्याद अधिनियम प्रभावी नही रहता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला कलक्टर महोदय भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 11.03.1985 से ग्राम पंचायत भिडयानी के आराजी खसरा न0 11 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा ,ख0न0 13 रकवा 7 बीघा 12 विस्वा एवं खसरा न0 22 रकवा 2 बीघा 17 विस्वा मकबूजा सरकार पहाडी खेड कुल रकवा 12 बीघा को ग्राम पंचायत चैकोरा के लिये आबादी विस्तार हेतु आरक्षित किया गया जिसकी पालना मे उक्त विवादित आराजी पटवारी हल्का के द्वारा राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 आबादी दर्ज की गई। ग्राम पंचायत चैकोरा को आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई भूमि में से अप्रार्थी सं0 2 के हक में सरपंच ग्राम पंचायत चैकोरा द्वारा दिनाक 26-10-1999 को पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी ने निगरानी में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 142 ,147, 148, 149, 150, 151 की पालना कर ग्राम पंचायत को आबादी हेतु भूखण्ड के पट्टे जारी करने की कार्यवाही नियमानुसार की जानी आवश्यक होना तथा तत्कालीन संरपच के द्वारा आवंटन से पूर्व नियमो के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया की पालना नही की गई । ग्राम पंचायत मे कोई नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की गई और न ही कोई नीलामी फर्द तैयार की गई रिकार्ड में अन्तिम बोली राशि व नीलामी समिति की अभिशंषा के

बिना ही तत्कालीन संरपच व सचिव ने नियमो के विरूद्व तत्समय विद्यमान बाजार दर से काफी कम कीमत पर अपने परिवारीजन रिश्तेदार एवं नजदीकी लोगो को भू खण्ड आवंटन के पात्र न होते हुये भी ग्रम पंचायत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को भूखण्ड का आवंटन/पट्टा किया गया है तथा पंचायती राज्य नियम 1966 के नियम 154 व 155 की पालना में विक्रय पुष्टि भी नही किया जाना दौराने सुनवाई जाहिर किया गया है। अप्रार्थी के हक में ग्राम पंचायत के द्वारा नियम विरूद्व आबादी भूमि के किये गये पटटो की जॉच मे तहसीलदार रूपवास की जॉच रिपोर्ट क्रमांक एलआर 08/2825 दिनांक 3.09.2008 एवं दिनांक 13.11.2008 तथा उपखण्ड अधिकारी रूपवास की जॉच रिपोर्ट क्रमांक 949 दिनांक 12.05. 2011 से ग्राम पंचायत के द्वारा भूखण्डो के पटटो में तत्कालीन सरपंच द्वारा अनियमियता किया जाना पाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी एवं तहसीलदार रूपवास एवं उपखंड अधिकारी रूपवास की जॉच रिपोर्ट में भी अप्रार्थी सं0 02 का नियम विरूद्व आवंटित भूखण्ड पर आवंटन/पटटा के बाद मौके पर कोई कब्जा होना प्रमाणित नही रहता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि की नीलामी कार्यवाही में पारदर्शी प्रक्रिया का अपनाया जाना नही पाया जाता है तथा पंचायत अधिनियम के तहत् निर्धारित प्रक्रिया की पालना भी सरपंच ग्राम पंचायत चैकोरा के द्वारा नही की गई है। नियमों के अन्तर्गत पट्टा प्रति पंचायत समिति कार्यालय एवं पट्टा रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही होना भी अप्रार्थी सं0 2 के हक में आबादी भूमि के भूखण्ड के पट्टो में अनियमितता किया जाना एवं निर्धारित प्रकिया की पालना आवटन से पूर्व नही किया जाना पाया जाता है। सरपंच ग्राम पंचायत चैकोरा एवं सचिव ग्राम पंचायत चैकोरा के द्वारा न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 2 के हक में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड संधारण नहीं होना एवं रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना सूचित किया गया है जिससे भी अप्रार्थी के हक में आबादी भूमि का किया गया विवादित पट्टा पंचायत अधिनियम के प्रावधानों अनुसार सही होना नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत पट्टा बहक अप्रार्थी को जारी रखना विधि सम्मत् नही रहता है। अस्तु प्रार्थना पत्र प्रार्थी निगरानी अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी विक्रय विलेख दिनांक 26-10-1999 नियम विरूद्व जारी किये जाने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य पाते है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार निगरानी स्वीकार की जाती है, तथा सरपंच ग्राम पंचायत चैकोरा द्वारा अप्रार्थी सं0 2 केशवदेव पुत्र गिर्राजप्रसाद के हक मे दिनांक 26-10-1999 द्वारा जारी किया गया आवासीय भू खण्ड 30फुटx46-5फुट = 1395 वर्गफुट का पट्टा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति रूपवास एवं सचिव ग्राम पंचायत चैकोरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि आबादी विस्तार हेतु आरक्षित आबादी भूमि में से आबादी हेतु आवासीय पटटा जारी करने हेतु पंचायती राज अधिनियम 1996 में निर्धारित प्रकिया की पालना करते हुये भविष्य में पात्रता रखने वाले पात्र व्यक्तियो को नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही जावे। यह पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.6.2018 सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त कलक्टर,भरतपुर